

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/वृ0पी0/ /21, लखनऊ:दिनांक: 27, जनवरी-2021,  
-आदेश-

उत्तर प्रदेश, वैट नियमावली 2008 के नियम-64 (3) में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 01.02.2021 को वृहत्तर पीठ से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर वृहत्तर पीठ गठित की जाती है।

गठित वृहत्तर पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ, डा0 बुद्धेश मणि, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद, श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ एवं श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/27.01.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/पू0पी0/ 190 /2021, तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, पीठ-2, व पीठ-3, लखनऊ।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद।
3. मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/पेशकार/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।